

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

पंत भवन सातवां तल्ला, नेहरू पथ,

पटना-800001

पत्रांक:- PMAA/PRN/^{KANTA CHAK}_{PHULWARI SHARIF}/B+G+03/26/2024 - 338- पटना, दिनांक- 11.07.2024

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

श्री मदन मोहन गुप्ता एवं अन्य,
पार्टनर-विनसम बिल्डकॉम एण्ड एसोसिएट्स,
पिता-स्व० कृष्णा नन्द गुप्ता,
कार्यालय- 405, कृष्णा शकुन्तलम अपार्टमेंट,
रोयल एनफिल्ड शो रूम के पीछे, दानापुर खगौल रोड,
सगुना मोड़, थाना-दानापुर, जिला-पटना।

विषय:- प्लान केस संख्या:- PMAA/PRN/^{KANTA CHAK}_{PHULWARI SHARIF}/B+G+03/26/2024 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०:- PMAA/PRN/^{KANTA CHAK}_{PHULWARI SHARIF}/B+G+03/26/2024 दिनांक-24.04.2024 के संदर्भ में श्री मदन मोहन गुप्ता एवं अन्य, पार्टनर-विनसम बिल्डकॉम एण्ड एसोसिएट्स, पिता-स्व० कृष्णा नन्द गुप्ता, कार्यालय- 405, कृष्णा शकुन्तलम अपार्टमेंट, रोयल एनफिल्ड शो रूम के पीछे, दानापुर खगौल रोड, सगुना मोड़, थाना-दानापुर, बिहार, के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान-2031 के आलोक में मौजा-कांताचक, हाल थाना-गोपालपुर, सर्वे थाना-फुलवारीशरीफ, थाना सं०-116, सर्वे प्लॉट सं०-115(अंश), खाता सं०- 05, में आवासीय भवन, (B + G + 03), दिनांक-21.06.2024 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय भवन प्रयोजन, के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 1434.52 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा। बेसमेंट में Ventilation हेतु समुचित व्यवस्था बिहार भवन उपविधि के आलोक में प्रावधान करना होगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
5. आवेदित भूखण्ड के दक्षिण में 6.10मी० चौड़ी वर्तमान सर्वे सड़क अवस्थित है।
6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

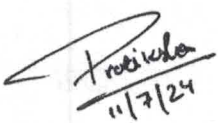
7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
9. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल, निकास सड़क, एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास बिहार भवन उपविधि-2014 में प्रावधानित उपविधि 8(5) के आलोक में करना होगा।
11. बिहार भू-सम्पदा (विनियामक और विकास) नियमावली-2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।
12. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
13. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
14. स्थल पर नक्शे के अनुसार Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
15. बिहार भवन उपविधि-2014, एवं संशोधित (2022) तथा पटना मास्टर प्लान-2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होगा।
16. बिहार भवन उपविधि-2014, एवं संशोधित भवन उपविधि (2022) तथा पटना मास्टर प्लान-2031 के आलोक में स्वीकृत नक्शा में प्रावधानित ग्रीन एरिया एवं अन्य प्रावधानों का प्रावधान किया जाए।
17. प्राधिकार का पत्रांक-521, दिनांक-05.09.2023 के आलोक में बाहरी दिवारों पर अनिवार्य रूप से प्लास्टर कराना अनिवार्य होगा।
18. आवेदक स्वीकृत नक्शे की प्रतिलिपि कार्य स्थल पर हमेशा संलग्न रखेंगे, जो प्राधिकार के पदाधिकारियों के स्थल निरीक्षण के दौरान माँगे जाने पर दिखाया जाएगा।

विश्वासभाजन,



अधीक्षक अभियंता,

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार।



सहायक अभियंता
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार